**Industrial Development**

1303. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the progress achieved in the industrial development of the country since the announcement of New Industrial Policy;

(b) whether Government have come across any constraints in the implementation of the policy ; and

(c) if so, the details thereof and action being taken to rectify them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN) : (a) After the announcement of the New Industrial Policy in July 91, 3550 Industrial Entrepreneurs' Memoranda have been filed by entrepreneurs with the Secretariat for Industrial Approvals till 31st January, 1992 for the setting up of industrial units. During the aforesaic period approvals have also been given by the Government as well as Reserve Bank of India for a total of 760 foreign collaborations including 260 approvals for foreign investment proposals involving foreign/NRI equity of Rs. 588.63 crores.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**इस समय कार्यरत विभिन्न प्रकार के सेंसर बोर्ड**

1304. डा० अबरार अहमद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने प्रकार के सेंसर बोर्ड कार्यरत हैं और उनका गठन कब किया गया था तथा उनके सदस्यों का ब्यौरा और उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किस-किस राज्य के हैं ;

(ख) क्या इस मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न प्रकार के सेंसर बोर्डों का सदस्य बनने के लिए कोई अर्हता निर्धारित की गई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे बोर्डों के सदस्यों को कोई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक ही है। इसका 7 अक्तूबर, 1991 से पुनर्गठन किया गया था। सदस्यों के नाम और जिन राज्यों से ये संबंधित हैं उनके नाम विवरण में दिए गये हैं। (नीचे देखिये)

(ख) समाज, विज्ञान, कानून, शिक्षा, कला इत्यादि जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो केन्द्र सरकार की राय में जनता पर फिल्मों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की अर्हता रखते हैं, को ही सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ग) बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 150/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से परामर्श शुल्क और फिल्मों के पूर्वावलोकन या काटछांट इत्यादि के सत्यापन से संबंधित कार्य के लिए उपस्थित होने पर 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, मुख्यालय से बाहर के सदस्य केन्द्र सरकार के समूह "क" के अधिकारियों को देय मात्रा भत्ते के लिए पात्र होते हैं।

## विवरण

### केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य

| नाम | राज्य जिनसे संबंधित हैं (निवास) |
|---|---|
| 1. श्री शक्ति सामंत | महाराष्ट्र |
| 2. श्री एन. डी. कोठारी | महाराष्ट्र |
| 3. श्रीमती प्रणयनी मुंशी | महाराष्ट्र |
| 4. श्रीमती के. एच. भांसली | महाराष्ट्र |
| 5. श्रीमती देवकी भुतैय्या | तमिलनाडु |
| 6. श्री ए. वी. एम. बालासुब्रामणियम | —तथैव— |
| 7. श्री वी. आर. वेंकटाचलम | —तथैव— |
| 8. श्रीमती हेमा चौधरी | कर्नाटक |
| 9. श्री सबिताब्रत दत्ता | पश्चिम बंगाल |
| 10. श्री हर्ष कुमार निवेतिया | —तथैव— |
| 11. श्री सेवाव्रत गुप्ता | —तथैव— |
| 12. श्रीमती पोली अयप्पा | कर्नाटक |
| 13. श्री सी. वी. एल. शास्त्री | कर्नाटक |
| 14. श्री बशीर एम. पिचा | केरल |
| 15. श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी | आंध्र प्रदेश |
| 16. श्री जे. भास्कर राव | आंध्र प्रदेश |
| 17. श्री के. एल. जैन | राजस्थान |
| 18. श्री लक्ष्मण सिंह | राजस्थान |
| 19. श्रीमती सारा मोहम्मद | नई दिल्ली |
| 20. श्रीमती उर्वशी तलवार | नई दिल्ली |
| 21. श्री अमर सिंह | नई दिल्ली |
| 22. श्री जुबेर खान | राजस्थान |
| 23. श्री नवाब जाफर जंग | नई दिल्ली |
| 24. श्रीमती कमला मानकेकर | नई दिल्ली |
| 25. प्रो. बी. बी. दास | उड़ीसा |